प्रकाशन का 46 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 46 अंक-37 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 20-27 सितम्बर 2021 मूल्य पांच रूपए

कोरोना के नाम पर चुनाव टाल कर अब उसी की तीसरी लहर में करवाने की बनी विवशता

शिमला/शैल। प्रदेश में चार उपचुनाव होने है। तीन विधानसभाके लिये और एक लोकसभा के लिये। इन्हें टाला नही जा सकता है क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि उपचुनावों को एक वर्ष से भी अधिक समय के लिये टाला जा सके । विधान सभा के लिये जब पहला स्थान रिक्त हुआ था तब विधान सभा का कार्यकाल करीब दो वर्ष का शेष था। जब तीसरा स्थान खाली हुआ तब कार्यकाल करीब डेढ़ वर्ष का शेष बचा था। लोक सभा की सीट खाली होने पर तो लोकसभा का कार्यकाल करीब तीन वर्ष बाकी था। इसी कानूनी परिदृश्य में यह चुनाव टालने का एक ही रास्ता शेष रह जाता है कि फरवरी में विधानसभा भंग करके इसके लिये आम चुनाव करवाने की घोषणा कर दी जाये। उस स्थिति में भी लोकसभा के लिये तो विधान सभा के साथ ही उपचुनाव करवाना ही पड़ेगा। कानून की इस स्थिति की जानकारी प्रशासन के शीर्ष स्थानों पर बैठे अधिकारियों को होना अनिवार्य है। मुख्यमन्त्री और कानून मन्त्री को भी यह ज्ञान होना ही चाहिये। कानून की इस जानकारी के परिदृश्य में राजनीतिक समझ की यह मांग हो जाती है कि उपचुनाव जल्द से जल्द करवा लिये जायें। क्योंकि पहले दो नगर निगम और फिर विश्वविद्यालय मे चुनाव हार जाने से यह संकेत स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की लोक प्रियता का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है।

लेकिन इस व्यवहारिक स्थिति के बावजूद सरकार ने यह उपचुनाव टालने का आग्रह केन्द्रीय चुनाव आयोग का भेजा गया। इस आग्रह पर चुनाव टाल भी दिये गये। इसके लिये बाकायदा प्रदेश के मुख्यसचिव, स्वास्थ्य सचिव डी जी पी और मुख्यनिर्वाचन अधिकारी से राय ली गई। कोरोना , त्योहार और मौसम का आधार बनाकर उपचुनाव टालने की पुख्ता जमीन तैयार का दी गई। चुनाव आयोग ने इन अधिकारियों से उक्त फीडबैक मिलने का जिक्र करते हुये राज्य सरकार की सिफारिश मान कर उपचुनाव टालने का आदेश जारी कर दिया लेकिन जब कुछ समाचार पत्रों में कानून की स्थिति का खुलासा सामने आया तब केन्द्र से लेकर राज्य तक हड़कंप मच गया। सुत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बल्कि सूत्रों का तो यह भी दावा है कि कानून मन्त्री सुरेश भारद्वाज केन्द्र की नाराजगी को ही शान्त करने दिल्ली प्रवास पर हैं। अब चार अक्तुबर को चुनाव आयोग की बैठक में इन चुनावो के लिये तारीखो की घोषणा होने की संभानवा जताई जा रही हैं यदि उप चुनाव करवाने का फैसला निया जाता है तो 15 नवम्बर तक यह चुनाव होने की संभावना है।

इस संभावित फैसले से यह सवाल जबाव मांगेंगे कि जिस कोरोना के कारण चुनाव टालने का फैसला लिया था उसी कोरोना की अक्तूबर- नवम्बर में तीसरी लहर आने की चेतावनी दी गई है। यह कहा गया है कि इससे 60000 लोग प्रभावित होंगे। इसी के साथ यह भी सामने आया है कि मुख्यमन्त्री के अपने गृह जिला मण्डी में स्कूली छात्रों और अध्यापकों में यह संक्रमण बढ़ गया है। स्वस्थ्य मन्त्री के अपने चुनाव क्षेत्र में भी बच्चो के संक्रमित होने के समाचार आचुके हैं। इस तरह के समााचार आने के बाद भी सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया हैं। इस परिदृश्य मे अभिभावक बच्चो ं को स्कूल भेजने का जोखिम उठाने को तैयार हो जायेगे। क्या जनता मे इस फैसले से कोरोना को लेकर और भ्रम की स्थिति नही बनेगी? कोरोनाके अतिरिक्त चुनाव टालने का दूसरा आधार त्यौहारी सीजन को बनाया गया था। यह त्यौहारी सीजन तो अब भी वैसा ही बना हुआ है। यदि त्यौहारी सीजन में उपचुनावों की तारीखें आती है तो चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी रैलियां कैसे हो पायेंगी? यह दूसरा बड़ा सवाल होगा यदि पिछली बार चुनाव टालने का फैसला न लिया जाता तो यह चुनाव इसी माह संपन्न हो जाते और सरकार सारे सवालों से बच जाती। कानूनी प्रावधानों की परवाह न करने का परिणाम यह है कि आज सरकार चुनावों को लेकर सौ कोड़े भी और सौ प्याज भी खाने के मुकाम पर पहुंच चुकी है। क्योंकि कर्माचारियों को छः मंहगाई भत्ता देने का फैसला लेने के बाद बड़े अधिकारियो ं को ग्यारह प्रतिशत देने का फैसला लेना भी सरकार की कार्य शैली पर गंभीर सवाल उठाने वाला सिद्ध हुआ हैं। कर्मचारियों में इस पर रोष पनपने के बाद इस फैसले को भी वापिस लेना पडा हैं। जो सरकार इस तरह के फैसले लेगी उसे जनता कितना समर्थन देने को तैयार होगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि सरकार कोरोना को नकार कर उपचुनाव करवाने का फैसला लेती है या जनता की सुरक्षा के मद्देनजर फरवरी में आम चुनाव करवाने का फैसला करती है। इसमें सरकार सत्ता छोड़ कर चुनावों मे ंजाने का जोखिम लेना नही चाहती हैं।

क्या जयराम सरकार और संघ में नीति विरोध है ऐमेजोन पर पांचजन्य की टिप्पणी से उठी चर्चा

शिमला/शैल। जयराम सरकार के कृषि एवम ग्रामीण विकास मंत्री विरेन्द्र कंवर ने एक ब्यान में कहा है कि प्रदेश सरकार अपने कृषि उत्पाद ऐमेजोन और फिल्पकार्ड जैसे ई-प्लेटफार्मो के माध्यम से बचेगी। जब विरेन्द्र कंवर यह घोषणा कर रहे थे तभी संघ का मुख पत्र पांचजन्य ऐमेजोन को दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा था। पांचजन्य का आरोप है कि ऐमेजोन की कार्यशैली वैसी ही है जैसी की ईस्ट इंडिया कंपनी की थी जिसके माधयम से अंग्रेजों ने भारत पर तीन सौ वर्ष राज किया है। ऐमेजोन ने पांचजन्य के इस आरोप को सिर से खारिज करते हुए दावा किया है कि 35 लाख उद्योग उसके साथ जुडे हैं और दो सौ देशों में वह अपना सामान बेच रहे हैं। संघ की ईकाई रहा स्वदेशी जागरण मंच ऐमेजोन जैसे ई-प्लेट फार्मो का वैचारिक धरातल पर ही विरोधी रहा है और आज किसान आंदोलन में भी यह ई-प्लेटफार्म एक बडा मुद्दा बने हुए हैं।

ऐसे में यह एक स्वभाविक सवाल बनता है कि सरकार का एक मंत्री ऐसा नीतिगत वक्तव्य तभी दे सकता है जब सरकार ने ऐसा कोई फैसला लिया हो। भाजपा की सारी नीतियां संघ से अनुमोदित होकर आती है यह सभी जानते हैं। इसलिये अब यह सवाल उठने लग पड़ा है कि क्या जय राम सरकार संघ की नीतियों का विरोध करने का साहस रखती है। वैसे जय राम सरकार के कई और फैसले भी पिछले दिनों ऐसे आये हैं जिनसे सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठने लग पडे हैं। सरकार ने अपने कर्मचारियों को 6 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की किश्त जारी करने का ऐलान किया और इस फैसले के बाद आई ए एस तथा आई पी एस अधिकारियों को यही मंहगाई भत्ता 11 प्रतिशत देने की घोषणा कर दी। इससे सरकार का यह ज्ञान सामने आया कि कर्मचारियों की बजाये बड़े अधिकारी मंहगाई से ज्यादा पीडित है। इसलिये उन्हें दो गुणी राहत दी जानी चाहिये। लेकिन सरकार इस फैसले पर दो दिन भी नही टीक पायी और तीसरे दिन यह 11 प्रतिशत भत्तों का फैसला वापिस ले लिया।

यही नही सरकार की और बड़ी उपलब्धि सामने आयी है। अब लोक निमार्ण, जलशक्ति, विद्युत और स्थानीय निकाये जैसे विभागों में सौ से अधिक टैण्डर रद्द हुए हैं। जिनके लिये धन का प्रावधान एशियन विकास बैंक जैसी संस्थाओं से लिये गये ऋण से किया गया है। चिन्तपुरनी मन्दिर में और इसके इर्द-गिर्द किये जा रह कार्यो के लिये धन का प्रावधान इसी बैंक के पैसे से है। अभी सरकार ने एक हजार करोड़ का ऋण पिछले दिनों ही लिया है। वैसे यह टैण्डर रद्द होने का कारण तकनीकी कहा गया है। सही स्थिति क्या है इस पर कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नही है। वैसे लोकनिमार्ण विभाग को लेकर जो याचिका CWP 3356/21 प्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित है उसमें विभाग की स्थिति को लेकर जो कुछ कहा गया है वह काफी चौकाने वाला है।

राज्यपाल ने चंडीगढ़ में आयोजित एयर शो में भाग लिया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 1971 युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस के उपलक्ष्य में सुखना लेक चंडीगढ़ में वायुसेना केंद्र चंडीगढ़ एवं चंडीगढ़ प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक ऐयर शो में भाग लिया। इसमें हॉक, राफेल विमानों और चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा आकर्षक प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दतात्रेय भी उपस्थित थे।

यह समारोह वर्ष 1961 में स्थापित वायुसेना केंद्र चंडीगढ़ की स्थापना की हीरक जयंती को भी समर्पित रहा।

इस अवसर पर राज्यपाल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी पायलटों को बधाई दी और कहा कि यह भव्य प्रदर्शन देखने के बाद यहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले यह जांबाज कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं चूक सकते हैं। वर्षों की मेहनत से 12 विंग वायु सेना केंद्र चंडीगढ़ भारतीय वायुसेना से सबसे बड़े एवं मुख्य एयरबेस के रूप में उभरा है और यह अत्याधुनिक विमानों से सुसज्जित हैं। भारतीय वायु सेना की हवाई कलाबाजी इकाइयां जिसे सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम के रूप में जाना जाता है, के पास हिन्दुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित हॉक जैसे विमान हैं। इस टीम ने वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता सिद्ध की है और इसकी गिनती विश्व की नौ बेहतर वायुयान फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम के रूप में की जाती है।

राष्ट्रपति को एसजेवीएन के अध्यक्ष ने परियोजनाओं की स्थिति से अवगत करवाया

शिमला/शैल। महामहिम राष्ट्रपति, श्री रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश के आधिकारिक दौरेपरहैं।एस जे वी एन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,नन्दलाल शर्मा ने उनके शिमला प्रवास के दौरान महामहिम से शिष्टाचार भेंट की। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नन्द लाल शर्मा ने भारत और विदेशों में एसजेवीएन की विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति संबंध में महामहिम को अवगत करवाया। शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 24X7 'सभी के लिए विद्युत' के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एसजेवीएन अथक प्रयास कर रहा है।

शर्मा ने आगे बताया कि 2016. 5 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एसजेवीएन 2040 तक 25000 मेगावाट की कंपनी बनने की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रहा है। एसजेवीएन देश में एक प्रमुख विद्युत कंपनी के रूप में उभरा है, जिसने ऊर्जा उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, जिसमें जलविद्युत, पवन, सौर तथा ताप विद्युत शामिल हैं। कंपनी की ऊर्जा ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी मौजूदगी है।

शर्मा ने महामहिम को अवगत करवाया कि एसजेवीएन राष्ट्र तथा देशवासियों को प्रभावित करने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में समाज तथा सरकार के समर्थन में हमेशा अग्रणी रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एसजेवीएन ने कोविड-19 की महामारी के विरुद्ध लड़ाई में भी उदारतापूर्वक सहयोग दिया है।

कुल्लू में स्थापित होगा बुनकर सेवा व डिजाइन रिसोर्स केन्द्रःपीयूष गोयल

शिमला/शैल। कुल्लू में बुनकर सेवा व डिजाइन रिसोर्स केन्द्र की स्थापना की जाएगी जो राज्य के खूबसूरत हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनके निर्यात के लिए बेहतर मंच प्रदान करेगा।

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कुल्लू के अटल सदन में हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्णिम जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सेवा व समर्पण अभियान के अंतर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा कारीगरों के साथ एक संवाद कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

पीयूष गोयल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हस्तशिल्प की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बुनकर सेवा केन्द्र में कारीगरों का कौशल उन्नयन, उन्हें आधुनिक उपकरण प्रदान करना व नए डिजाइन तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस केन्द्र के लिए पहले से तैयार कोई भवन उपलब्ध है तो इसका संचालन तुरन्त आरम्भ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिजाइनिंग, गुणवत्ता, पैकेजिंग तथा विपणन को आधुनिक बनाने पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि बुनकरों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादों के बढ़िया दाम मिले।

केन्द्रीय मंत्री ने प्रदेश के उत्पादों का बड़े शहरों के अलावा कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों तथा पांच सितारा होटलों में जिलावार प्रदर्शनियां आयोजित करने का सुझाव दिया ताकि इनकी ब्रैंडिंग राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो। उन्होंने बुनकरों से कहा कि वे अपना ट्रेडमार्क प्राप्त करें जिसके लिए केन्द्र सरकार ने पंजीकरण शुल्क 80 फीसदी कम कर दिया है। केन्द्र सरकार ने हस्तशिल्प वस्तुओं के प्रोत्साहन के लिए एक समिति का गठन भी किया है जो इनकी गुणवत्ता, डिजाईन व विपणन को बेहतर बनाने के सुझाव सरकार को देगी। उन्होंने इसी प्रकार की समिति हिमाचल प्रदेश में गठित करने का सुझाव दिया।

पीयूष गोयल ने जिला के उद्यमियों के साथ परस्पर संवाद किया। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प व हथकरघा कारीगरों को वुड क्रॉफ्ट, हथकरघा, कढाई मशीन व प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

अपने अधिकारों को लेकर सजग रहें महिलाएं - डॉ. डेजी ठाकुर

शिमला/शैल। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. डेजी ठाकुर ने महिलाओं से अपने अधिकारों को लेकर सजग रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जरूरी है महिलाएं अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें और अपने हक के लिए आवाज बुलंद करें। महिला आयोग इसमें उनकी हरसंभव सहायता करेगा।

वह जिला परिषद, मंडी के सभागार में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रही थीं। उन्होंने बताया कि राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं की सहायता के लिए संरक्षण व सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निराकरण करते हैं तथा गंभीर समस्याओं को उच्च स्तर तक पहुंचाने में उनकी सहायता करते हैं। नियुक्त अधिकारी महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी भी समय-समय पर प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भी महिलाओं की सहायता के लिए एक व्हट्सएप नम्बर जारी किया गया था, जो महिलाओं की शिकायतों का निवारण में बहुत कारगर रहा। उन्होंने बताया कि महिला आयोग में महिलाएं अपनी समस्याओं का निःशुल्क समाधान पाती हैं।

डॉ. डेजी ठाकुर ने कहा कि हमारे समाज में आज भी पीड़ित महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती तथा एफआईआर दर्ज कराने में भी संकोच करती हैं। महिला आयोग महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए काम कर रहा है और इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्य जिलों में भी लगाए जाएंगे।

इस अवसर पर महिला आयोग की सदस्य मंजरी नेगी ने कहा कि सभी महिलाओं-पुरूषों को अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। महिलाओं को भी अपने पति व बुजुर्गों की समस्याओं को समझना आवश्यक है तभी हमारा घर-परिवार अच्छी तरह से चल सकता है। उन्होंने समय-समय पर महिलाओं की काउंसलिंग करने की जरूरत पर भी बल दिया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजनाएं अंजू बाल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए महिला आयोग का आभार जताया।

राज्य महिला आयोग के अधिवक्ता अनुज वर्मा ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के बारे में जानकारी प्रदान की। अधिवक्ता मुकुल शर्मा व देवेन्द्रा देवी ने भी इस अवसर पर महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान की।

वन विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट (ई-कचरे) को लेकर वेबिनार का आयोजन किया गया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा एक गैर सरकारी संगठन 'करो संभव' के सहयोग से ई-कचरे के संबंध में एक वेबिनार का आयोजन किया गया जिसमें वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। डॉ. सविता पी सी सी एफ (वन बल प्रमुख) ने वेबिनार की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ई-कचरा पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करने के अलावा हमारे कार्यालयों और घरों में अनावश्यक जगह घेरता है। उन्होंने कहा कि इसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किए जाने की जरूरत है।

'करो संभव' संगठन के प्रतिनिधियों ने ई-कचरे से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इनका पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण कैसे किया जा सकता है और पूर्ण उपयोग के बाद उनका निपटान कैसे किया जाता है, उनकी प्रस्तुति का मुख्य बिंदु था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि कैसे उनका संगठन नागरिकों को ई-कचरा इकटठा करने में मदद कर रहा है।

राजीव कुमार, पीसीसीएफ प्रबंधन ने भी इस विषय पर अपने विचार साझा किए और उन्होंने कहा कि वन विभाग शिमला स्थित अपने कर्मचारियों एवं अधकारियों से ई अपशिष्ट एकत्र करेगा और उसके के निष्पादन के लिए एनजीओ को देगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी ई वेस्ट को मुख्यालय स्थित आईटी लैब में जमा करा सकते हैं।

वेबिनार में अजय श्रीवास्तव पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ भी मौजूद थे। उन्होंने भी अपने विचार साँझा किये।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
No. PW-DPD-CB-Tender/2021:15439-41 Dated:-23/09/2021

The Executive Engineer Dharampur Division, HPPWD Dharampur Distt. Mandi (H.P) on behalf of Governor of HP invite the item rate bids in electronics tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the work as detailed in the table.

Sr.No. Name of Work	Estimated cost (In Rs.)	Starting Date of downloading Bid	Earnest Money (In Rs.)	Deadline for submission of Bid	Time Limit
1R/R damages on Parchu to Sajao road (near Harijan Basti Karnohal) (SH:- P/L C.C. Pavement at km. 0/150 to 0/600)	1496750/-	30000/-	07/10/2021	13/10/2021	Two Months
2. C/O link road Kohan to Dodan Ka Thala km 0/0 to 1/0 (SH:- F/C 5/7 meter wide in km 0/430 to 1/0 and C.C.Pavement in km. 0/270 to 0/430)	1497250/-	30000/-	07/10/2021	13/10/2021	Two Months
3. R/R damages on link road Longani to Sajao (near village Baldwara Chowki) (SH:- ROFD & C.C.Pavement in km. 0/300 to 0/700)	1498625/-	30000/-	07/10/2021	13/10/2021	Two Months
4C/O L/R Patwar Khana to Harijan Basti Sajao (portion Harijan basti Sajao to Rida Basti) km. 0/0 to 1/300 (SH:- ROFD, CD, & R/Wall & C.C.Pavement in essential reaches)	1480785/-	30000/-	07/10/2021	13/10/2021	Two Months

The bidder are advised to note other details of tender from the department website www.hptender.gov.in

Adv. No. 4347/21-22 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकारः ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer Jawali Division HP PWD Jawali on behalf of the Governor of Himachal Pradesh invites the item rate bids,in electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the work as detailed in the table.

Sr.No. Name of Work	Estimated cost	Starting Date of downloading Bid	Earnest Money	Deadline for submission of Bid
1. Construction of BhalladChanialaTheru Karsoli road Km. 0/0 to 7/500(SH:- Providing and laying 30mm thick Bitumenous concrete at RD. 4/435 to 5/435).	879300/-	06.10.2021	17600/-	13.10.2021
2. Construction of BallahBadedSoldhaKotla road Km. 0/0 to 10/0(SH:- Construction of 6.00 Metre span RCC slab culvert at RD. 4/281).	806491/-	06.10.2021	16200/-	13.10.2021

The bidders are advised to note other details of tenders from the Department website www.hptenders.gov.in opened on 14.10.2021.

Adv. No. 4325/21-22 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

नौवीं से बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 27 तारीख से स्कूल खोलने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में नौवीं से बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इस माह की 27 तारीख से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार जबकि नौवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थी वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को विद्यालयों में उपस्थित होंगे। आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेंगी।

मंत्रिमण्डल ने पार्ट-टाइम मल्टी टास्क वर्कर्ज पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चत्तर और प्रारम्भिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 5625 रुपये प्रतिमाह मानदेय इन बहुद्देशीय कार्यकताओं को प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में जेबीटी और सी एण्ड वी अध्यापकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण के लिए स्थानान्तरण नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया, जिसके अन्तर्गत दूसरे जिले में स्थानान्तरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष किया गया है, जिसमें अनुबन्ध अवधि भी शामिल है और वर्तमान तीन प्रतिशत कोटे को बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए आईटी अध्यापकों के मानदेय में एक अप्रैल, 2021 से 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की मनाली तहसील की ग्राम पंचायत नसोगी के गांव छियाल में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में वन प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर महाविद्यालय सुन्दरनगर का नाम परिवर्तित कर हिमाचल प्रदेश वन अकादमी रखने को स्वीकृति प्रदान की गई।

राज्य में बड़ी/मेगा/एंकर इकाइयों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति एवं नियम 2019 के अन्तर्गत प्रदेश में कस्टमाइजड पैकेज ऑफ इन्सेंटिवज फॉर मेगा इन्डस्ट्रीयल प्रोजैक्टस के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में राजस्व विभाग में नायब तहसीलदार के 20 पदों को नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियरों को बदलने/रख-रखाव की नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थकेयर योजना-हिमकेयर रखने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने सहारा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री सहारा योजना करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया खण्ड खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र में राजकीय उच्च विद्यालय पलचान, जाणा और शिरड को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला और राजकीय माध्यमिक विद्यालय हलान-1 को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने व विभिन्न श्रेणियों के 22 पदों के सृजन के साथ भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला मण्डी के सराज विधानसभा क्षेत्र में शिलीलारजी और दमसेड में नए प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला शालागड़ को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय धरोट धार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन के साथ इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिला की उप-तहसील सैंज को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वारघाट को आवश्यक पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला कुल्लू के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अरसू को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निथर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुल्लू जिले के जगातखाना, घाटू, बागीपुल और उरतू में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इन स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबन्धन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के साथ भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला कुल्लू के बंजार क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गडसा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ इस स्वास्थ्य संस्थान के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।

बैठक में सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वर्णिम दृष्टि पत्र तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में वर्तमान कोविड-19 स्थिति पर प्रस्तुतियां दी गई।

चिकित्सा उपकरण पार्क स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य के लिए चिकित्सा उपकरण पार्क स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग ने चिकित्सा उपकरण पार्क प्रोत्साहन योजना के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित कर दिए हैं, जिसमें देश में चार चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने के लिए राज्यों से प्रारम्भिक परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पाया गया और राज्य के लिए चिकित्सा उपकरण पार्क स्वीकृत किया गया, जिसके तहत यह पार्क विकसित करने के लिए राज्य को 100 करोड़ रुपये की ग्रांट इन ऐड प्राप्त होगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह पार्क सोलन जिला के नालागढ़ में विकसित किया जाएगा, जहां 265 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि इस पार्क की अनुमानित लागत 266.95 करोड़ रुपये होगी और 160.95 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 20 हजार करोड़ रुपये के टर्नओवर तथा 10 हजार लोगों के लिए लाभकारी रोजगार की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर भारत में यह पहला पार्क होगा और इससे उपभोक्ता वस्तुएं तैयार करने के साथ-साथ औद्योगिकरण के द्वितीय चरण को बढ़ावा मिलेगा। इसमें पूंजीगत वस्तुओं जैसे संयंत्र और मशीनरी आदि का उत्पादन करने वाले उद्योग भी होंगे।

केन्द्रीय मंत्री ने हिमाचल को निवेश के लिए उत्कृष्ट केन्द्र विकसित करने पर राज्य सरकार के प्रयासों को सराहा

शिमला/शैल। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास पर उद्योग जगत के हितधारकों, निवेशकों और व्यापारिक घरानों के संचालकों के साथ आयोजित संवाद सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि 20 से 26 सितम्बर, 2021 के सप्ताह को वाणिज्य सप्ताह के रूप में आयोजित किया जा रहा है ताकि देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को मनाया जा सके। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को निवेशकों के लिए उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार की पहल को सराहा।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि हिमाचल प्रदेश में निवेशक मित्र पारिस्थितिक तंत्र है और निवेशकों के साथ बेहतर औद्योगिक संबंध स्थापित हैं। व्यापार में सुगमता की दिशा में भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। प्रदेश सरकार हिमाचल को देश के निवेश केन्द्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 7 व 8 नवम्बर, 2019 को धर्मशाला में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 96 हजार करोड़ निवेश के लिए 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। प्रदेश सरकार ने एक और आगे कदम बढ़ाते हुए सम्मेलन के दो महीनों के अन्दर लगभग 13,500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी आयोजित किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लिए चिकित्सा उपकरण पार्क स्वीकृत करवाने में सफल रही है जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश के विकास में उद्योगपतियों का महत्वपूर्ण योगदान है जिसे देखते हुए राज्य सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। उन्होंने निवेशकों से राज्य में निवेश करने और प्रदेश के विकास का भागीदार बनने का आग्रह किया।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक घरानों और निवेशकों के साथ हमेशा मधुर संबंध बनाए रखे हैं। राज्य में निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण है जो यहां निवेशकों को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार यहां ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट आयोजित की जिसके परिणामस्वरूप करोड़ों रुपये का निवेश आकर्षित हुआ। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में शुरू की गई औद्योगिक विकास योजना को 2022 के बाद भी जारी रखा जाना चाहिए ताकि प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिल सके।

उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी.धीमान ने मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए निवेश आकर्षित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला।

वर्धन समूह के सचित जैन, बीबीएनआईए के अध्यक्ष संजय खुराना, सुनील तनेजा, ड्रग मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के राजेश गुप्ता, सीआईआई हिमाचल चैप्टर के अध्यक्ष शैलेश अग्रवाल, मोरपेन लैब्स लिमिटेड के संजय सूरी, ग्रीनलैंड इंड्स्ट्रीज के मनोज शर्मा व आशीष, हाइडल सैक्टर के आर.के. वर्मा, स्टार्ट क्राफ्ट के विपिन गर्ग व राहुल सहित राजीव शर्मा और राजीव अग्रवाल ने इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री के समक्ष अपने विचार रखे।

उन्होंने निवेशकों की सुविधा के लिए बेहतर निवेशक मित्र पर्यावरण और व्यापार में सुगमता के लिए की गई पहल के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की। उन्होंने प्रदेश के लिए चिकित्सा उपकरण पार्क स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। निवेशकों ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उनका यह भी कहना था कि राज्य में एपीआई निगरानी कोष्ठ स्थापित किया जाए।

प्रदेश के कई निर्यातकों ने वर्चुअल माध्यम से केन्द्रीय मंत्री के साथ बातचीत की और अपने विचार साझा किए।

सांसद सुरेश कश्यप, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव जे.सी. शर्मा और निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति भी बैठक में उपस्थित थे।

सामाजिक-निजी भागीदारी में आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता:बिक्रम सिंह

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 10 गीगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति और पॉवर विजन दस्तावेज 2030 पर विचार किया जा रहा है। वह एसोचैम द्वारा उत्तर भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता विषय पर वर्चुअल माध्यम से आयोजित सेमीनार को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में दवा उद्योग के विकास के लिए केन्द्र सरकार से प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी देने के लिए आग्रह किया है, इससे राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रदेश में सरकार द्वारा मेगा फूड पार्को पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। इससे प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने में निवेश के अवसर प्राप्त होंगे तथा फसल क्षति को कम करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

बिक्रम सिंह ने कहा कि देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी ने विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के त्वरित और लागत प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने में मदद की है। निजी क्षेत्र उत्तरी राज्यों को सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों जैसे क्षमता निर्माण, गुणवत्तापूर्ण किफायती स्वास्थ्य देखभाल, स्थिरता, बुनियादी ढांचे के विकास आदि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

कोरोना महामारी के संकटकाल के दृष्टिगत, अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए निजी क्षेत्र का निवेश महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार ने भागीदारी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी लॉजिस्टिक्स के निर्माण को सुगम बना रही है, जिसके माध्यम से भी उद्योग लाभान्वित हो सकते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकारों की भागीदारी और निरंतर समर्थन से सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने में सहायक होगी।

बिक्रम सिंह ने कहा कि राज्य में सभी पात्र प्रदेशवासियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है और सरकार ने आगामी नवम्बर, 2021 तक सभी पात्र व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं।
......चाणक्य

सम्पादकीय

बड़ा सन्देश है-दलित को मुख्यमन्त्री बनाना

अभी पंजाब में कांग्रेस ने अपना मुख्यमन्त्री बदला है। इससे पहले भाजपा ने उत्तराखण्ड में दो बार फिर कर्नाटक और गुजरात में मुख्यमन्त्री बदले हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमन्त्री बदलने के प्रयास हुए। भाजपा के मुख्यमन्त्रीयों में सिर्फ कर्नाटक और गुजरात में रोष के स्वर उभरे परन्तु उत्तराखण्ड में ऐसा कुछ नही हुआ। पंजाब में यह रोष कुछ ज्यादा हो गया है क्योंकि वर्तमान मुख्यमन्त्री ने नये बने मुख्यमन्त्री और वहां के पार्टी अध्यक्ष पर कई आरोप लगाये हैं। यह आरोप उनकी व्यक्तिगत हताशा बनते जा रहे हैं। क्योंकि यदि यह आरोप सही है तो सबसे पहले इन पर कारवाई करने की जिम्मेदारी भी उसी मुख्यमन्त्री की थी जिसकी पार्टी में यह लोग थे। यही प्रश्न उन दूसरे लोगों पर भी लगता है जो अब इन आरोपों पर सवाल पुछ रहे हैं। इसलिये राजनीतिक भाषा में यह आरोप उस बौखलाहट का परिणाम हैं जो पंजाब जैसे राज्य में एक दलित को मुख्यमन्त्री बनाये जाने से सभी बड़ो के अहम पर चोट बनी है। हटाये गये मुख्यमन्त्री ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी को भी अनुभवहीन और बच्चा कहा है। यहां पर फिर अमरेन्द्र सिंह पर ही सवाल उठता है कि जब राहुल गांधी के चरित्र हनन के लिये सैंकड़ों करोड़ का प्रौजेक्ट विरोधियों द्वारा चलाया गया था जिसका खुलासा कोबरा पोस्ट ने अपने स्टिंग आप्रेशन में किया था उस पर पार्टी के यह बड़े नेता खामोश क्यों रहे थे? तब इस सिद्धान्त को क्यों भूल गये थे कि राजनीति में उसी विरोधी को गाली दी जाती है जो ज्यादा ताकतवर होता है। फिर अमरेन्द्र को मुख्यमन्त्री भी शायद इसी अनुभवहीन राहुल गांधी ने प्रपोज किया था। तब उन्हे बुरा क्यों नही लगा था। प्रियंका को महामन्त्री बनाये जाने का एक बार भी अमरेन्द्र ने विरोध क्यों नही किया है? इसलिये आज अमरेन्द्र के सारे वक्तव्य उनकी व्यक्तिगत हताशा से अधिक कुछ नही रह जाते हैं।

लेकिन इसी सबमें यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस समय अपने मुख्यमन्त्री बदलने की रणनीति पर क्यों आ गये हैं। इस बदलाव का इनके संगठनो और जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिये सत्ता पक्ष से इसका आकलन शुरू करना ज्यादा प्रसांगिक होगा। क्योंकि इस समय भाजपा इतने बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज है जहां पर उसे कोई भी विधेयक पास करवाने में किसी भी दूसरे दल के सहयोग की आवश्यकता ही नही है। इसीलिये बिना किसी बहस के कानून बनते जा रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय तक इस पर चिन्ता जता चुके हैं। 2014 से भाजपा की जीत की जो लहर चल रही थी उसे 2021 में आकर बंगाल में ब्रेक लगी है। बंगाल के चुनावों में प्रधान मन्त्री नेरन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सक्रियता जितनी बड़ी हो गयी थी उसके परिदृश्य में इसके परिणामों की भी सीधी जिम्मेदारी इन्ही पर आ जाती है। भले ही इस बारे योगी आदित्यनाथ के अतिरिक्त किसी ने भी परोक्ष/अपरोक्ष में सवाल उठाने का सहास न किया हो। बंगाल का हार में पार्टी के मनोबल और मोदी पर अति आस्था दोनों को गहरा धक्का पहुचाया है यह एक स्थापित सच है। यह सर्वेक्षणों ने ही सामने ला दिया है कि मोदी की लोकप्रियता 66% से घटकर 24% तक आ पहुंची है। इस घटती लोकप्रियता का असर आने वाले चुनावों पर न पड़े यह सबसे बड़ी चिन्ता बन चुकी है। इस घटाव का कारण अब तक लिये आर्थिक फैसले हैं। इन फैसलों पर उपजी लोकप्रियता को हिन्दु मुस्लिम के गुणा-भाग में दबा दिया जा रहा था। लेकिन किसान आन्दोलन ने इस गुणा-भाग पर जिस तरह पर्दा खींचा है उससे भीतर का नंगा सच एकदम बाहर आ गया है। किसान आन्दोलन में सारे प्रयासों के बावजूद भी हिन्दू-मुस्लिम न खड़ा हो पाना एक ऐसा सच बन गया है जिसने सारे किले को ध्वस्त करके रख दिया है। इस गिरते प्रभाव से बचने के लिये अभी से राज्यों में मुख्यमन्त्री बदलने की रणनीति पर चलने की लाईन ली गयी है। इससे 2024 तक आते-आते इस अलोकप्रियता को कितना रोका जा सकेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

इस समय किसान आन्दोलन हर राजनीतिक दल के लिये केन्द्रिय बिन्दु बन चुका है। सत्ता पक्ष और उससे परोक्ष-अपरोक्ष में सहानुभूति रखने वालों के लिये इस आन्दोलन को असफल करना पहला काम है। सारे विपक्ष के लिये किसान आन्दोलन को सफल बनाना पहली प्राथमिकता है। इस आन्दोलन ने देश की 80% जनता को आन्दोलन के मुद्दों पर सक्रिय सोच में लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि भण्डारण और कीमत के पर से नियन्त्रण हटाना सबको समझ आता जा रहा है। किसान आन्दोलन की सबसे बड़ी जमीन पंजाब है क्योंकि यह किसान और किसानी का केन्द्र हैं। ऐसे में जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार होते हुए वहां का मुख्यमन्त्री पंजाब के किसानों को वहां से घरने प्रदर्शन बन्द करने और अंबानी-अदाणी को सुरक्षा देने की बात करे तो क्या यह कदम एक तरह से पूरी पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय षडयन्त्र नही बन जाता है। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के किसान आन्दोलन के विरोध में आये ब्यान सभी के संज्ञान में हैं। बल्कि यह माना जा रहा है कि कांग्रेस हाई कमान को यह कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिये था। 2014 से लेकर आज 2021 तक यदि भाजपा शासन में कोई सबसे ज्यादा प्रताडित रहा है तो उसमें सबसे पहले नाम दलित और मुस्लिम समुदाय के ही रहे हैं। आज कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमन्त्री बनाकर न केवल भूल सुधार की है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक सन्देश भी दिया है। इस सन्देश का लाभ न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश को होगा।

आदिवासियों के लिए अलग धर्म श्रेणी की मांग पृथकतावादी मनोवृति का हिस्सा

गौतम चौधरी

आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म श्रेणी की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान, बिहार के एक आदिवासी कार्यकर्ता महेंद्र ध्रुव ने कहा कि ''यदि आप 1871 से 1931 तक ब्रिटिश काल के सभी जनगणना के आंकड़ों को देखेंए तो जनजातियों को एक विकल्प के रूप में 'आदिवासी' चुनने का प्रावधान था। आजादी के बाद सरकार ने इसे हटा दिया, ताकि जनजातियों को 'हिंदू' या अन्य धर्मों के अनुयायी के रूप में गिना जा सके।'' वर्तमान समय के अधिकांश आदिवासी कार्यकर्ता आदिवासी खंड के तहत एक अलग धर्म श्रेणी की अपनी मांग को सही ठहराने के लिए इस तर्क का उपयोग करते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में ऑस्ट्रेलियाई शब्दावली शुरू करने के पीछे की सच्चाई क्या है?

आदिवासी शब्द पर विचार करने से पहले लार्ड मैकाले का उल्लेख यहां करना आवश्यक हो जाता है। मैकाले को भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जिसके कारण भारत में क्षेत्रीय संस्कृति, पाठयक्रम पर अंग्रेजी संस्कृति की श्रेष्ठता स्थापित हो पायी। फिरंगी सल्तनत काल में उनके तर्क 1835 में ''मैकाले मिनट्स'' के रूप में प्रकाशित हुए थे। इससे पारंपरिक और प्राचीन भारतीय शिक्षा और व्यावसायिक प्रणालियों और विज्ञानों का व्यवस्थित रूप से सफाया हो गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, हिंदू और मुसलमानों ने असाधारण एकता दिखाई, जिससे अंग्रेजों को एहसास हुआ कि वे भारत में तब तक शांति से शासन नहीं कर सकते, जब तक कि भारतीयों के बीच विभाजन न हो। सांप्रदायिक दंगे भड़का कर वे हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करने में सफल रहे। अगली बड़ी चुनौती हिंदुओं के बीच विभाजन की थी। इस महत्वपूर्ण रणनीति को उन्होंने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश प्रारंभ की। अंग्रेजों ने भारतीय परिप्रेक्ष में आदिवासी शब्द गढ़े और आदिवासी व गैर-आदिवासी के बीच दरार पैदा करने की एक अवधारणा रखी। उन्होंने आदिवासियों को आदिवासी के रूप में वर्गीकृत करके दो लक्ष्यों को लक्षित किया। सबसे पहले, उन्होंने आदिवासियों को यह विश्वास दिलाया कि वे एक अलग ब्लॉक हैं और उनकी अलग पहचान है और दूसरा, उन्होंने आदिवासियों के बीच बड़े पैमाने पर धर्मांतरण प्रारंभ किया। यह काम तभी आसान हो पाया जब आदिवासी समुदाय अपने आप को हिन्दुओं से अलग करके देखने लगा। यह साम्राज्यवादी ब्रिटेन के लिए आसान तरीका था। झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूरे उत्तर-पूर्व आदि के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण उपरोक्त सिद्धांत की गवाही देता है।

पब्लिक लॉ 480 के दिनों यानी भारत-अमेरिकी समझौते के बाद भारत ने एक लंबा सफर तय किया है। अब कई दक्षिण एशियाई देश नेतृत्व के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। पश्चिमी प्रभू राष्ट्रों के न चाहते हुए भी भारत आज परमाणु शक्ति संपन्न देश है। यही नहीं परमाणु शक्ति के रूप में, भारत तेजी से विकास कर रहा है और उम्मीद की जाती है कि वह थोड़े समय के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस आदि जैसे विकसित देशों के बराबर आ जाएगा। पश्चिमी शक्तियों ने महसूस किया है कि भारत के इस विकास की तेज गति को तभी रोका जा सकता है, जब भारत में आंतरिक अशांति पैदा हो। आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म संहिता का मुद्दा उठाने वाले सीधे तौर पर पश्चिमी शक्तियों के हाथों में खेल रहे हैं। एक अलग आदिवासी धर्म पश्चिमी शक्तियों को आदिवासियों को बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म में दीक्षित करने का आसान मौका प्रदान करेगा। यह इस तथ्य से समझा जा सकता है कि लगभग पूरे पूर्वोत्तर भारत और झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि के आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा ईसाई धर्म में परिवर्तित हो चुका है। इन क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों के प्रभाव का उपयोग करके पश्चिमी शक्तियां भारत को आंतरिक रूप से अस्थिर करने के फिराक में है। इस तरह यह मांग हमारी आर्थिक प्रगति एवं विकास को कमजोर करने की एक पश्चिमी साजिश है। रिपोर्ट्स की मानें तो मिशनरियों और उनके पश्चिमी सहयोगियों की नजर आदिवासी इलाकों की विशाल खनिज संपदा पर भी है।

रामायण जैसे महाकाव्य ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जहां आदिवासियों ने हिंदू देवी-देवताओं को अपना कर्तव्य निभाने में मदद की है। शबरी के बेर, केवट का नदी पार करते समय भगवान राम को अपनी सेवाएं देना आदि अधिकांश भारतीयों को ज्ञात है।

रामलीला देश भर के कई आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। आदिवासियों को सदियों से हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाता रहा है। आदिवासियों के साथ-साथ सनातनियों में प्रकृति पूजा, गोत्र प्रणाली आदि आम हैं। यही नहीं संथालों का सफा होर और उरांओं का टाना भगत संप्रदाय आज भी सनातन हिंदू परंपराओं को अपने जीवन का हिस्सा मानता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भील और गोंड आदिवासी शासकों ने सनातनी देवताओं के लिए मंदिरों का निर्माण कराया है। भील जनजातियों में से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें क्षत्रिय माना जाता है।

अगर भारत को अमेरिका, चीन, पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे देशों से आगे निकलना है तो उसे एकजुट रहने और अपनी सारी ऊर्जा विकास के मोर्चे पर लगाने की जरूरत है। आदिवासियों के लिए अलग धर्म संहिता जैसे मुद्दे देश को भीतर से ही कमजोर करेंगे। जो लोग जटिलता को नहीं समझते हैं, उनके लिए भारत में 100 जनजातियां हैं। धर्मों को जाति जनगणना के 1.6 से कोड हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म के आधार पर किया जाता है। कल्पना कीजिए कि प्रत्येक जनजाति को एक अलग कोड दिया जाए तो इस प्रक्रिया को जटिल बनाने के अलावा आदिवासियों को और कुछ भी हासिल नहीं होगा। कथित आदिवासी कार्यकर्ता जो अभी अलग से आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं उन्हें यह भी सोचना होगा कि अगर अलग से धर्म की व्यवस्था हो जाती है तो उनके कई अधिकार जो आज उन्हें प्राप्त हैं उसको फिर से परिभाषित करना होगा। इससे उन्हें भयंकर घाटा भी हो सकता है। जनजातीय कार्यकर्ताओं द्वारा आदिवासियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर विचार करता है, तो इसका एक संभावित प्रभाव यह हो सकता है कि वे कई एसटी लाभों को खो देंगे जो वर्तमान में उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण में उनकी मदद कर रहे हैं।

इसलिए जनजातीय समाज को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर अलग से आदिवासी धर्म कोड क्यों? उन्हें जो चाहिए वह पूर्व से सरकार के द्वारा उन्हें प्राप्त हो रहा है। यदि वे अलग धर्म कोड प्राप्त कर भी लेते हैं तो उन्हें भयंकर घाटा होगा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ में वे अलग-थलग पड़ जाएंगे और उनका विकास भी अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरी ओर विदेशी विभाजनकारी शक्तियों को नए प्रकार के पृथक्तावाद को बढ़ावा देने में आसानी हो जाएगी।

जलवायु परिवर्तन से जलवायु न्याय की ओर भारत के बढ़ते कदम

- भूपेन्द्र यादव -
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री

शिमला। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की नवीनतम रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन को सबसे गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में से एक माना गया है। हालाकि, इसकी शुरुआत 1960 के दशक में एक पर्यावरणीय चिंता के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ यह सामाजिक अधिकारों के मुद्दे के रूप में विकसित हो गया है, जिसके लिए सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक तौर पर स्थानीय समाधान की तत्काल आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन से पैदा होने वाले परिणाम व जोखिम (सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय और भौगोलिक विविधताओं में फैल जाते हैं। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित तटीय क्षेत्र जलवायु के हिसाब से संवेदनशील बीमारियों जैसे-मलेरिया, डायरिया, कुपोषण का सबसे अधिक सामना करते हैं। दुर्भाग्य से, जलवायु परिवर्तन ने सामाजिक विभाजन पैदा कर दिया है। ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन और विकास के निम्नतम स्तर पर रहने वाले देश, जलवायु परिवर्तन के कुछ सबसे गंभीर परिणामों को भुगतने के लिए बाध्य हैं।

पेरिस समझौता, जलवायु के सकारात्मक प्रभावों को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु न्याय पर समान जोर देता है। जलवायु न्याय, समाज के गरीब और वंचित वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के बारे में है, जो अक्सर जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्परिणामों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। परिणामस्वरूप 'जलवायु न्याय' की धारणा, जलवायु परिवर्तन को समानता की मूलभूत भावना के साथ जोड़ने के एक तरीके के रूप में उभरी है।

जलवायु न्याय, प्रभावित लोगों को केवल मुआवजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन्हें प्राकृतिक संसाधनों तक उचित पहुंच, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, समानता आधारित विकास और पर्यावरण अधिकार प्रदान करना है। यह राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति को लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन की साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं पर आधारित है।

कॉप 26 का लक्ष्य यह होना चाहिए कि विकासशील देश जलवायु दुष्परिणामों को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल होने से सम्बन्धित कार्यों में विस्तार देकर जलवायु न्याय को सुनिश्चित करें। ये कार्य विकसित देशों द्वारा कार्यान्वयन के साधनों (वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण) के प्रावधानों पर आधारित होने चाहिए।

भारत गरीबी का उन्मूलन करने और सतत विकास का लक्ष्य पाने की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमेशा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के क्रम में जलवायु न्याय की अनिवार्यता पर जोर दिया है। आज भारत एक सतत और समावेशी आर्थिक विकास प्रदान करने की दिशा में दुनिया की अगुवाई कर रहा है।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने से जुड़े उपायों में गहरी दिलचस्पी ली थी। उनके नेतृत्व में ही भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उस समय एक बड़ी छलांग लगाई, जब गुजरात के चरनका में 3,000 एकड़ में फैले एशिया के सबसे बड़े सौर पार्क/क्षेत्र (500 मेगावाट) का उद्घाटन किया गया। जलवायु न्याय से प्रेरित इस उपाय ने सौर ऊर्जा को आर्थिक रूप से कम लागत में प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे यह सबसे कमजोर और दलित वर्ग के लिए सुलभ हो सका। नहर के ऊपर सौर ऊर्जा के उत्पादन से जुड़ी परियोजना का गुजरात म डल कीमती उपजाऊ कृषि भूमि को बचाने के अलावा पानी की कमी से जूझने वाले इस राज्य में जल-संरक्षण में भी मदद करता है।

पर्यावरण के प्रति एक जागरूक और जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर, भारत जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले उपायों के एक आवश्यक घटक के रूप में जलवायु न्याय को शामिल करने वाले अग्रणी देशों में से एक के रूप में उभरा है। इसने स्वेच्छा से ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो विकासशील देश के मानकों की दृष्टि से अभूतपूर्व हैं। हम 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33-35 प्रतिशत तक कम करने के प्रति वचनबद्ध हैं।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, हम नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन की ओर धीरे-धीरे बढ़ने के अलावा गैर-आवश्यक जीवनशैली के पसंद में बदलाव करके खपत के मामले में भी बदलाव करने पर जोर दे रहे हैं।

कृषि योग्य भूमि में बिजली के साथ-साथ पानी की खपत को कम करने के दोहरे उद्देश्य को हासिल करने के लिए सिंचाई के पारंपरिक तरीकों की जगह 'प्रति बूंद, अधिक फसल' वाली ड्रिप सिंचाई योजना को अपनाते हुए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) पहले ही कई राज्यों में शुरू हो चुका है। इस महाभियान का लक्ष्य 90 प्रतिशत सब्सिडी पर खेती के काम आने वाला सौर पंप उपलब्ध कराना है।

सौर गठबंधन की भारत की पहल का उद्देश्य दुनिया के ऊर्जा संबंधी स्रोत को न केवल गैर-नवीकरणीय ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ले जाना है, बल्कि समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सस्ती बिजली भी उपलब्ध कराना है। यह पहल न केवल रोजगार को हरित क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करेगी, बल्कि कम विकसित देशों को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए पर्याप्त अवसर भी प्रदान करेगी।

सरकार ने एक जल संरक्षण योजना शुरू की है जो जलाशयों को दुरुस्त करने, औद्योगिक खपत को विनियमित करने, वर्षा जल को संचित करने और अपशिष्ट जल को पुन: उपयोग के लायक बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। जल जीवन मिशन-हर घर जल योजना-के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 2024 तक नल जल कनेक्शन प्रदान किया जाना है। विभिन्न समावेशी योजनाओं में से एक है पीएम उज्ज्वला योजना जो गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन प्रदान करती है। इसके अलावा यह योजना महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को रसोई में लकड़ी, कोयला, उपले आदि के जलने से होने वाली श्वास संबंधी कई बीमारियों से भी बचाती है।

जलवायु न्याय के लक्ष्यों में जीवों को मानवजनित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाना भी शामिल होना चाहिए। भारत ने पेंच कान्हा टाइगर रिजर्व में दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव कॉरिडोर बनाकर उल्लेखनीय पहल की है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघों की 60 प्रतिशत आबादी के साथ सबसे बड़ा बाघ संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है। यह एकमात्र ऐसा देश है जहां एशियाई शेर एवं कई अन्य प्रजातियों के लिए विशेष संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

प्रकृति के प्रति सम्मान भारतीय लोकाचार में निहित है और इसे प्राचीन अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त से लेकर आधुनिक काल में महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप के सिद्धांत तक प्रदर्शित किया गया है। भारत ने आदिवासियों के अधिकारों को वैधानिक रूप से मान्यता दी है जो अपने पारंपरिक ज्ञान के जरिये सतत पर्यावरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

जलवायु न्याय भारत के लिए अपरिहार्य है जिसे अपनी विकासात्मक एवं वैश्विक आकांक्षाओं के लिए कार्बन एवं नीतिगत मोर्चे पर पर्यावरण एवं प्रकृति के अनुकूल अपनी प्रतिबद्धता का लाभ उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एक समान पर्यावरण नीति तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिसमें केवल सरकारी नियमों के बजाय समावेशी पर्यावरण चेतना शामिल हो।

पुनर्वितरण ज़रूरी लेकिन विकास की कीमत पर नहीं

- अमिताभ कांत -

शिमला। हमारी आजादी के बाद के सालों में भारत में आर्थिक विकास के बजाय संपदा के पुनर्वितरण को तरजीह दी गई। हालांकि, ये पुनर्वितरण नीतियां गरीबी के स्तर में गंभीर चोट कर पाने में नाकाम रहीं, और इन्होंने आर्थिक विकास को सुस्त रखा। जहां 90 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण की कोशिशों से संपदा के सृजन में विस्फोट हुआ और गरीबी में काफी कमी आई, वहीं उसके बाद के दशकों में इस सुधार के एजेंडे का असर खत्म हो गया। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और सुधारों में बढ़ोतरी के नतीजतन जो असरदार विकास हुआ उसकी बुनियाद पर 2000 के दशक के आखिर में भारत में बड़े पैमाने पर पुनर्वितरण नीतियां लाई गईं। हालांकि, वैश्विक वित्तीय संकट के बाद जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था धीमी हुई, सरकारी खर्च का दायरा टिकाऊ नहीं रहा।

यहां कहने का मतलब ये नहीं है कि पुनर्वितरण नहीं करना चाहिए। जिन साधनों से पुनर्वितरण किया जाता है वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। आईएमएफ के एक पेपर के मुताबिक कैश ट्रांसफर, प्रगतिशील टैक्स व्यवस्था और मानव पूंजी में निवेश ही वे मुख्य साधन हैं जिनके ज़रिए पुनर्वितरण किया जाता है। बेशक, यहां ऐसी सीमाएं हैं जिनमें से पहले और दूसरे साधन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन, 1970 के दशक की शुरुआत को ही लीजिए। इस दौरान व्यक्तिगत आयकर का सबसे ऊंचा ब्रैकेट 95: से ज्यादा था। किसी प्रगतिशील टैक्स व्यवस्था में, एक चौड़े टैक्स बेस के जरिए सरकारी राजस्व को बढ़ाने की कोशिशें की जानी चाहिए, न कि मार्जिनल टैक्स रेट्स को बढ़ाकर। ठीक इसी तरह, कैश ट्रांसफर जहां महत्वपूर्ण हैं लेकिन इन्हें सरकारी लाभों और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने की कोशिशों के साथ किया जाना चाहिए। मानव पूंजी में निवेश की भी नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन किया जाना चाहिए, सिर्फ इनपुट के लिहाज से ही नहीं बल्कि आउटपुट और नतीजों के लिहाज से भी।

बड़े पैमाने वाले पुनर्वितरण कार्यक्रमों की अपनी वित्तीय लागत भी होती है। सरकारी राजस्व या तो कर राजस्व से आ सकता है या फिर गैर-कर राजस्व से। कर राजस्व भारत में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। जिसके नतीजतन कर राजस्व हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी सेहत से बहुत महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इसका तर्क बड़ा सीधा सा है। जैसे-जैसे लोग ज्यादा कमाते हैं, टैक्स भी उतना ही ज्यादा इकट्ठा किया जाता है। कर संग्रह तंत्र भी खासा महत्वपूर्ण है, जिसे स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना चाहिए। घाटे के वित्तपोषण को तब उपयोग में लाया जाता है जब सरकारी खर्च उसके राजस्व से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से पैसा उधार ले रही है। इसे ही राजकोषीय घाटा कहा गया है।

अब जब हमने ये स्थापित कर लिया है कि टैक्स कलेक्शंस का निर्धारण करने में अर्थव्यवस्था की सेहत बड़ी महत्वपूर्ण है, तो फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था को बूस्ट करना यानी आर्थिक टुकड़े के आकार को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। नॉर्डिक देशों का ही उदाहरण लीजिए। इन देशों को रहने के लिए लगातार सबसे अच्छी जगहें कहा गया है। फिर भी, उनकी अर्थव्यवस्थाएं सबसे ज्यादा गतिशील भी हैं। इन देशों ने इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में लगातार ऊंचा स्थान पाया है, जो कि एक देश में आर्थिक स्वतंत्रता की हद को मापता है। न्यूजीलैंड, जिसे आर्थिक स्वतंत्रता और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' इन दोनों सूचकांकों में शीर्ष पर रखा गया है, उसकी अपने मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट्स के लिए काफी तारीफ की गई है। इसलिए, टिकाऊ और परिवर्तनकारी पुनर्वितरण नीतियों को चलाने की चाबी एक मजबूत और गतिशील अर्थव्यवस्था है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने और लंबे समय से चली आ रही अक्षमताओं को दूर करने के लिए, हमारे देश की मौजूदा सरकार ने खासे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार, शासनात्मक सुधार और नियामक सुधार किए हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में एक नई कर व्यवस्था शुरू की गई है। भारत की टैक्स प्रणाली में जो प्रतिकूल व्यवस्था निर्मित हो गई थी, उसके मुकाबले ये नई प्रणाली स्वैच्छिक अनुपालन और भरोसे को बढ़ावा देती है। फेसलेस मूल्यांकन और अपीलें, कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत आयकर दरों में कमी, लंबित विवादों के लिए एक समाधान तंत्र, इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी, ये सब इस बात के सबूत हैं कि कराधान की एक नियम आधारित, स्वैच्छिक अनुपालन की प्रणाली लाई जा रही है।

भारत में हमने पुनर्वितरण नीतियों के तीनों साधनों को अभी और अतीत में भी सक्रिय देखा है। हालांकि, पहुंच इसमें एक प्रमुख बाधा बनी रही। क्योंकि सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा पैसा उसके इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा था। मुझे याद है एक अधिकारी के तौर पर मेरे शुरुआती दिनों में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार द्वारा खर्च किए गए हर एक रुपये में से 85 पैसे लीक हो गए। तब से इसमें एक बड़ा कायापलट हुआ है, खासकर हाल के कुछ बरसों में। बीते कुछ सालों में एक बड़ा फर्क लाने वाली चीज ये रही है कि तकनीक से सक्षम सर्विस डिलिवरी, जवाबदेही और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गैर-बराबरी का मुकाबला करने के लिए पहुंच यानी एक्सेस के मसलों को हल करना बड़ा जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट, आवास और वित्त तक पहुंच, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी छलांग लगाई गई है। इसमें रिकॉर्ड सबके सामने है। पहुंच के मुद्दों को संबोधित करके ज्यादा संपदा और आय में असमानता की दिशा में एक बड़ी बाधा को दूर किया गया है। और इसे मार्जिनल टैक्स व्यवस्था में कोई खास बढ़ोतरी किए बिना हासिल किया गया है। पीएम-किसान योजना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए बड़े पैमाने पर कैश ट्रांसफर भी हो रहे हैं। मानव पूंजी पर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना भारत में चलाई जा रही है। अब शिक्षा की गुणवत्ता को मापने और शिक्षा तक हासिल की गई पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शुरू की गई है, जो तीन दशकों में पहली बार हुआ है।

भारत में बीते सालों में असमानता से लड़ने के लिए बहुत कुछ किया गया है, जिसमें सरकारी लाभ और सेवाओं तक लोगों की पहुंच में सुधार लाने पर जोर दिया गया है। इसे व्यय में किसी बड़ी बढ़ोतरी के जरिए नहीं, बल्कि कई कारकों के संयोजन के जरिए हासिल किया है। सबसे पहले तो बजट में बढ़ोतरी की गई। हालांकि, इसके साथ शासन में सुधार भी किए गए जिन्होंने जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। तकनीक ने इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने मजबूत निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों को सक्षम किया। इसका नतीजा ये था कि पिरामिड के एकदम नीचे तक सेवाओं का कुशल वितरण हुआ। ठीक उसी वक्त, कई संरचनात्मक सुधारों के जरिए हमारी अर्थव्यवस्था की संभावित विकास दर को बढ़ावा देने की कोशिशें की गई हैं, जिनमें से प्रत्येक ने हमारी अर्थव्यवस्था में अंतर्निहित अक्षमताओं को संबोधित किया है। कोई जरूरी नहीं कि पुनर्वितरण और विकास, प्रतिस्पर्धी नीतिगत लक्ष्य हों। पुनर्वितरण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था बड़ी जरूरी है। जिसके बदले में, पुनर्वितरण में इन निवेशों का लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था पर कई गुना असर पड़ता है।

आईटी रिटर्न एसएमएस आपके बैंक खाते को कर सकता है खाली सीईआरटी–इन की एडवाइजरी जारी

शिमला/शैल। अगर आप एंड्रायड फोन के जरिये नेट बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हों तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। देश की संघीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने हालिया एडवाइजरी में भारतीय साइबर स्पेस में ट्रोजन मालवेयर की घुसपैठ की जानकारी देते हुए एंड्रायड फोन का इस्तेमाल करने वाले बैंक ग्राहकों को सतर्क किया है। उसने यह भी बताया है कि इस मालवेयर ने अब तक 27 से अधिक सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों को निशाना बनाया है। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम (सीईआरटी) ने हाल ही में एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, 'यह फिशिंग (निजी डाटा की चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर वायरस) मालवेयर इनकम टैक्स रिफंड के रूप में सक्रिय है और ग्राहकों के डाटा की निजता के लिए खतरा साबित हो सकता है। परिणामस्वरूप ग्राहक को बड़े पैमाने पर हमले और वित्तीय धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है।

सीईआरटी ने बताया, 'यह देखा गया है कि भारत के बैंक ग्राहकों को ड्रिनिक एंड्रायड मालवेयर का इस्तेमाल करते हुए नए मोबाइल बैंकिंग कैंपेन का शिकार बनाया जा रहा है। ड्रिनिक ने वर्ष 2016 में एसएमएस चोरी के रूप में शुरुआत की थी और हाल ही में एक बैंकिंग ट्रोजन के रूप में विकसित हुआ है। यह फिशिंग स्क्रीन के रूप में प्रदर्शित होता है और यूजर को बैंक से जुड़ी संवेदनशील सूचनाएं दर्ज करने के लिए तैयार करता है।'

सीईआरटी संघीय प्रौद्योगिकी इकाई है जो भारतीय साइबर स्पेस पर फिशिंग व हैकिंग जैसे हमलों का मुकाबला करती है। ऐसे फंसाते हैं जाल में ग्राहकों को एक एसएमएस प्राप्त होता है, जिसमें एक फिशिंग वेबसाइट (आयकर विभाग की तरह) का लिंक दर्ज होता है। ग्राहक जब उस लिंक पर क्लिक करता है तो उससे सत्यापन पूरा करने के लिए निजी सूचनाएं दर्ज करने और एपीके (एप) फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। ऐसा करने पर ग्राहक से एसएमएस, काल लाग व कांटेक्ट संबंधी अनुमति मांगी जाती है। इसके बाद ग्राहक से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी जाती हैं। इस कवायद में ग्राहकों का पूरा ब्योरा हैकर के पास चला जाता है और वह ग्राहक की बैंक से जुड़ी सूचनाओं का दुरुपयोग करता है।

राज्य गुप्तचर विभाग के साईबर क्राईम थाना शिमला की ओर से सभी एंड्राईड फोन यूजर्स को निम्नलिखित जानकारी एडवाईजरी के माध्यम से दी जा रही है।

ऑनलाइन बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाला नया ड्रिनिक एंड्रॉइड मैलवेयर क्या है ?

CERT-IN की सलाह के अनुसार, Drinik Android मैलवेयर भारतीय बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को लक्षित कर रहा है और आयकर रिफंड के भेष में फैल रहा है। यह एक बैंकिंग ट्रोजन है जो फ़िशिंग स्क्रीन में सक्षम है और उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बैंकिंग जानकारी दर्ज करने के लिए राजी करता है।

Android फ़ोन पर नया मैलवेयर कैसे इंस्टॉल हो जाता है ?

यह बताते हुए कि ड्रिनिक कैसे काम करता है, साइबर पीएस ने कहा, 'पीड़ित को एक फ़िशिंग वेबसाइट (आयकर विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट के समान) के लिंक वाला एक एसएमएस प्राप्त होता है, जहां उसे व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने और डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है। सत्यापन पूरा करने के लिए दुर्भावनापूर्ण एपीके फ़ाइल। यह दुर्भावनापूर्ण एंड्रॉइड ऐप आयकर विभाग ऐप के रूप में सामने आता है।

Android फ़ोन में इंस्टॉल हो जाने के बाद मैलवेयर क्या करता है?

स्थापना के बाद, ऐप उपयोगकर्ता को एसएमएस, कॉल लॉग, संपर्क इत्यादि जैसी आवश्यक अनुमतियां देने के लिए कहता है। यदि उपयोगकर्ता वेबसाइट पर कोई जानकारी दर्ज नहीं करता है, तो फार्म के साथ एक ही स्क्रीन एंड्रॉइड एप्लिकेशन में प्रदर्शित होती है और उपयोगकर्ता है भरने के लिए आगे बढ़ने को कहा।

Drinik -द्वारा कौन सा व्यक्तिगत डेटा चुराया जाता है ?

डेटा में पूरा नाम, पैन, आधार संख्या, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल पता और वित्तीय विवरण जैसे खाता संख्या, आईएफएससी कोड, सीआईएफ नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि, सीवीवी और पिन शामिल हैं।

मैलवेयर द्वारा व्यक्तिगत डेटा कैसे चुराया जाता है ?

उपयोगकर्ता द्वारा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने के बाद, ऐप बताता है कि एक आयकर वापसी राशि है जिसे उपयोगकर्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है। जब उपयोगकर्ता राशि दर्ज करता है और 'स्थानांतरण' पर क्लिक करता है, तो एप्लिकेशन एक त्रुटि दिखाता है और एक नकली अपडेट स्क्रीन प्रदर्शित करता है। जबकि अद्यतन स्थापित करने के लिए स्क्रीन दिखाई जाती है, बैकएंड में ट्रोजन हमलावर की मशीन को एसएमएस और कॉल लॉग सहित उपयोगकर्ता का विवरण भेजता है।

सीईआरटी-इन के अनुसार, 'इन विवरणों का उपयोग हमलावर द्वारा बैंक विशिष्ट मोबाइल बैंकिंग स्क्रीन बनाने और उपयोगकर्ता के डिवाइस पर प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसके बाद उपयोगकर्ता से मोबाइल बैंकिंग क्रेडेंशियल दर्ज करने का अनुरोध किया जाता है जो हमलावर द्वारा कब्जा कर लिया जाता है।

सुरक्षित कैसे रहें: अपने एंड्रॉइड फोन पर अज्ञात स्रोतों से ऐप डाउनलोड अक्षम करें ?

सीईआरटी-इन आपके डाउनलोड स्रोतों को आधिकारिक ऐप स्टोर तक सीमित करने की अनुशंसा करता है, जैसे कि आपके डिवाइस के निर्माता या ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप स्टोर जैसे Google Play जोखिम को कम करता है।

सुरक्षित कैसे रहें ? किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले ऐप के विवरण को ठीक से जांचें ।

एंड्रॉइड डिवाइस पर ऐप डाउनलोड करने या इंस्टॉल करने से पहले, यहां तक कि Google Play Store से भी, हमेशा ऐप विवरण, डाउनलोड की संख्या, उपयोगकर्ता समीक्षा, टिप्पणियों आदि की समीक्षा करें।

सुरक्षित कैसे रहें: ऐप इंस्टॉल करने से पहले ऐप अनुमतियां सत्यापित करें ?

ऐप अनुमतियों को सत्यापित करें और केवल उन अनुमतियों को प्रदान करें जिनके पास ऐप के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक संदर्भ है। साइड लोडेड ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए 'अविश्वसनीय स्रोत' चेकबॉक्स को चेक न करें।

ऐसे हमलों से सुरक्षित रहने के लिए की जाने वाली चीज़ें?

अविश्वसनीय वेबसाइटों को ब्राउज़ न करें या अविश्वसनीय लिंक का पालन न करें और किसी भी अवांछित ईमेल और एसएमएस में दिए गए लिंक पर क्लिक करते समय सावधानी बरतें।

-संदिग्ध नंबरों की तलाश करें जो वास्तविक मोबाइल फोन नंबरों की तरह न दिखें। स्कैमर्स अक्सर अपने वास्तविक फोन नंबर का खुलासा करने से बचने के लिए ईमेल-टू-टेक्स्ट सेवाओं का उपयोग करके अपनी पहचान छुपाते हैं।

-छोटे यूआरएल के प्रति सावधानी बरतें, जैसे कि bit-ly और tinyurl वाले। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे जिस वेबसाइट पर जा रहे हैं उसका पूरा डोमेन देखने के लिए संक्षिप्त यूआरएल (यदि संभव हो) पर अपने कर्सर को घुमाएं या यूआरएल चेकर का उपयोग करें जो उपयोगकर्ता को एक छोटा यूआरएल दर्ज करने और पूरा यूआरएल देखने की अनुमति देगा। उपयोगकर्ता पूरे यूआरएल का पूर्वावलोकन देखने के लिए शॉर्टिंग सर्विस प्रीव्यू फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

सभी जन साधारण को आग्रह किया जाता है कि किसी साईबर अपराध के घटित होने पर तुरन्त साईबर थाना शिमला के email-id cybercrcell-hp@nic.in contact 0177 2620331 एवं Whatsapp number 9805953670 पर अपनी शिकायत प्रेषित करें। साईबर अपराध के प्रति जागरुक रहें एवं सतर्क रहें।

प्रदेश की 103622 लड़कियों के लिए वरदान साबित हुई बेटी है अनमोल योजना

शिमला। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि समाज में उनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित किया जा सके। राज्य में बालिकाओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

बेटी है अनमोल योजना जरूरतमंद पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चिन्हित परिवारों की दो बालिकाओं के जन्म के पश्चात् प्रत्येक बालिका की दर से 12-12 हजार रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करना है। बालिका के बैंक या डाकघर खाते में 12 हजार रुपये की राशि जमा की जाती हैं, जिसे 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर निकाला जा सकता है।

प्रदेश में लड़कियों को सुशिक्षित बनाने के लिए राज्य में स्कूली शिक्षा से लेकर स्नातक तक बालिकाओं को छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं। प्रदेश में बालिकाओं को वार्षिक आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य में बालिकाओं को पहली से तीसरी कक्षा तक प्रतिवर्ष 450 रुपये, चौथी कक्षा में 750 रुपये, पांचवीं कक्षा में 900 रुपये, कक्षा छठी से सातवीं में 1050, आठवीं कक्षा में 1200 रुपये, नौवीं कक्षा से दसवीं कक्षा में 1500 रुपये और 11वीं और 12वीं कक्षा में 2250 रुपये तथा स्नातक स्तर पर पांच हजार रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 2018 से 30 जून, 2021 तक 3091.56 रुपये लाख खर्च किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत पहले चरण में 16443 बालिकाएं और दूसरे चरण में 87179 बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। वर्ष 2018-19 में पहले चरण में 1131.45 लाख रुपये से लगभग 5730 बालिकाएं लाभान्वित हुईं, जबकि दूसरे चरण में 25718 लड़कियों ने योजना का लाभ उठाया है।

वर्ष 2019-20 में पहले चरण में 1211.68 रुपये से 5929 बालिकाओं और दूसरे चरण में 34926 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया हैं। वर्ष 2020-21 में योजना के तहत पहले चरण में 748.43 लाख रुपये से 4784 लड़कियों को लाभान्वित किया गया है, जबकि दूसरे चरण में 26535 लड़कियों ने योजना का लाभ उठाया है। इसके अतिरिक्त, बालिकाओं के उत्थान के लिए और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राज्य सरकार ने जन्म के पश्चात् 21 हजार रुपये के अनुदान के प्रावधान की भी घोषणा की है।

बीएसएनएल ने 2399 रूपये में जारी किया हैवी डेटा प्लान

शिमला/शैल। भारत संचार निगम लिमिटेड अपने ग्राहकों को कई किफायती योजनाएँ और बड़े लाभ प्रदान कर रहा है जिसके अंतर्गत वर्तमान में दीर्घ अवधि का 3 GB डेली डेटा प्लान ऑफर कर रहा है बीएसएनएल अपना यह प्लान 2,399 रुपये में पेश कर रहा है जो ग्राहकों के लिए एक शानदार पेशकश है।

जे.एस. सहोता, मुख्य महाप्रबंधक, बीएसएनएल, एच.पी. सर्किल, शिमला ने पीआईबी को सूचित किया कि बीएसएनएल इस प्लान को 425 दिनों के लिए मात्र 2,399 रुपये में पेश कर रहा है। इस प्लान में ग्राहकों को अधिक डेटा मिलता है जिसमें कुल मिलाकर 1275 GB डेटा के साथ-साथ Eros-Now का फ्री OTT बेनिफिट मिलता है और बीएसएनएल यूजर्स को कॉलर टयून बदलने का विकल्प भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त इस प्लान में देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री कालिंग तथा डेली फ्री 100 डै की सुविधा भी उपलब्ध है।

इसके अलावा, इस योजना के तहत पूरे भारत में सभी नेटवर्क पर प्रतिदिन मुफ्त 100 एसएमएस के साथ असीमित मुफ्त कॉलिंग भी उपलब्ध है।

उचित उपयोग-नीति (एफयूपी) डेटा समाप्त होने के बाद बीएसएनएल उपयोगकर्ताओं को 80 केबीपीएस पर इंटरनेट का उपभोग जारी रखने की अनुमति देता है।

बीएसएनएल का प्लान-2399 बाजार में अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की ओर से फिलहाल मार्केट में उपलब्ध नहीं है।

इस योजना के साथ-साथ बीएसएनएल की अन्य योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी बीएसएनएल की वेबसाइट www.bsnl.co.in से प्राप्त की जा सकती है।

राज्य स्वास्थ्य सोसाइट के कर्मचारीयों का 20 सालों से हो रहा शोषण

शिमला/शॅल। राज्य स्वास्थ्य सोसाइट के अध्यक्ष अमिन चंद शर्मा ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य स्वास्थ्य सोसाइट में कार्यरत करीब 1600 कर्मचारी का शोषण सरकार पिछले 20-22 सालो से कर रही है जिनमें डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, लैब तकनीशियन, फार्मासिस्ट, ऑफिस स्टाफ जैसे क्लर्क अकाउंटेंट आदि कार्यरत है। यह लोग सरकार से केवल एक मात्र रेगुलर पे स्केल देने की मांग कर रहे हैं। सरकार द्वारा इनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है जिसके चलते कर्मचारियों में भारी रोष है।

जहां एक ओर कर्मचारी अपनी सेवाएं दिन रात इस संकट की घड़ी में भी दे रहे हैं बावजूद इसके हमें न ही तो कोई विशेष भत्ता दिया जा रहा है और न ही किसी भी तरह का फैसला लिया जा रहा है पिछले 20 सालों में खाली आश्वासन दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारियो से कई बार संगठन के पदाधिकारी मीटिंग कर चुके है।

वर्ष 2016 में सरकार द्वारा मंत्रिमंडल के फैसले से एक नोटिफिकेशन जारी की गयी थी की इन्हें रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा उसी नोटिफिकेशन को आधार बना कर राज्यों में मेडिकल कॉलेजो ने अपने अधीन कर्मचारियों को ये सुविधा प्रदान कर दी लेकिन राज्य स्वास्थ्य सोसाइट के कर्मचारीयों को इससे वंचित रखा गया। जबकि अन्य राज्यो में हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल तथा अन्य भत्ते भी दिए जा रहे हैं।

राज्य स्वास्थ्य सोसाइट के अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों पर जल्द कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो हमें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जिसकी जिम्मेवारी केवल सरकार की होगी।

भारत की सामाजिक एवम् आर्थिक प्रगति में आजीवन योगदान हेतू उत्कृष्ट गौरवशाली भारतीय संस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों के सम्वाहक पुरोधाओं की प्रतिष्ठा में आयोजित

सेवा सप्ताह (17 से 23 सितम्बर 2021)

हेतु प्रदेश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को हार्दिक शुभकामनायें

- 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के कुल 4,16,933 वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसमें 70 या इससे अधिक आयु वर्ग को क्रमशः 1500 रूपये मासिक तथा 65 से 69 आयु वर्ग की महिलाओं को 1000 रूपये मासिक पेंशन बिना आय सीमा।
- राज्य में वृद्धों के लिये 23 डे केयर सैंटर तथा 9 वृद्धाआश्रमों का संचालन।

पुराधाओं की प्रतिष्ठा में – सेवा सप्ताह हेतू गतिविधियां

17 सितम्बर, 2021 – स्वास्थ्य जागरूकता दिवस

स्वास्थ्य जांच, हेल्थ टीप्स एंव विशेष योगा सैशन का आयोजन

18 सितम्बर, 2021 – बढ़ती उम्र का उल्लास

नृत्य, गीत, कविता पाठ आयोजन

19 सितम्बर, 2021 – सेवा संकल्प दिवस

वृद्धाश्रमों का दौरा एंव शुभकामना पत्र भेंट

20 सितम्बर, 2021 – आर्शीवाद दिवस

बजुर्गो का शुभाषीश सैल्फी, सहित, विशेष ई-पीटीएम

21 सितम्बर, 2021 – वरिष्ठ नागरिक सम्मान दिवस

वरिष्ठतम नागरिक सम्मान एंव उनके द्वारा पौधारोपण

22 सितम्बर, 2021 – संवाद दिवस

अनुभवों, सुझावों एंव शिकायतों हेतू संवाद

23 सितम्बर, 2021 – प्रज्ञता दिवस

सफलता की कहानियां सांझा करना

सौजन्यः समाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग हि.प्र.
निदेशालय अनु. जाति, अ.पि. वर्ग, अल्पसंख्यक एंव विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण हि.प्र.

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

क्या निजि विश्वविद्यालयों पर लैण्ड सिलिंग एक्ट लागू नही होता

➩ 2013 में राजस्व विभाग को सौंपी जांच की रिपोर्ट आज तक क्यों नही आ पायी?

➩ नियामक आयोग की शिकायत पर मामला दर्ज करने में जयराम सरकार ने दो वर्ष क्यों लगाये

शिमला/शैल। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमन्त्री शान्ता कुमार और कांग्रेस विधायक राजेन्द्र राणा ने मानव भारती विश्वविद्यालय में घटे फर्जी प्रकरण पर गंभीर जांच की मांग की है। शान्ता कुमार ने इस जांच के लिये मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर और डी जी पी संजय कुण्डू से भी बात करने का दावा किया है। राजेन्द्र राणा ने तो इसके लिये प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति तक को पत्र लिखे हैं। राणा ने तो यह भी आरोप लगाया है कि इसमें जमीन लेने को लेकर भी घोटाला हुआ है। राजेन्द्र राणा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इस तरह इन बड़े नेताओं के आरोपों से यह मामला हरेक के लिये चर्चा का विषय बन गया है। इन फर्जी डिग्रीयों मे हजारों करोड़ के लेन देन का आरोप लगा है। इन आरोपों के साये में प्राईवेट सैक्टर में खुले इन विश्वविद्यालयों पर नजर डालने की आवश्यकता हो जाती है। क्योंकि जब यह विश्वविद्यालय खुले थे तब भी इनको लेकर हिमाचल बेचने जैसे आरोप लगे थे। कई छात्र संगठनों ने शिक्षा का बाजारीकरण करने के आरोप लगाये थे।

स्मरणीय है कि नीजि क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने के लिये सरकार पहला विधेयक 2006 में लाई थी। उस समय स्व. वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय विश्वविद्यालय खोलने के लिये न्यून्तम कितनी जमीन चाहिये ऐसी कोई सीमा नही रखी गई थी केवल यह कहा गया था कि प्रस्तावित विश्वविद्यालयों के पास 10 हजार वर्ग गज का नीर्मित ऐरिया होना चाहिये। यह 2006 का अधिनियम आने के बाद 2008 तक ही 10 विश्वविद्यालय प्रदेश में खुल चुके थे। शायद इसीलिये इस अधिनियम को और पुख्ता करने के लिये 2009 में नये सिरे से विधेयक लाया गया। इसमें केवल न्यूनतम जमीन की सीमा 50 बीघा की लगा दी गई। इस सीमा के साथ भी यह रखा गया की 10 हजार वर्ग का क्षेत्र निर्मीत होना चाहिये। लेकिन दोनों ही अधिनियमों में जमीन की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिये इस पर कुछ नही कहा। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी विश्वविद्यालय के पास एक बराबर जमीन न होकर अलग-अलग सीमा तक जमीने है। एक के पास न्यूनतम 52 बीघे है तो एक के पास अधिकतम 1765 बीघे है। सभी 16 विश्वविद्यालयों के पास अलग अलग सीमा तक जमीने है।

2009 में जो अधिनियम लाया गया था उसमें ही रैगुलेटरी कमीशन बनाने का भी प्रावधान किया गया जो 2006 के अधिनियम में नही था। इसमें इन विश्वविद्यालयों पर नियमन रखने के लिये नियामक आयोग को व्यापक शक्तियां दी गयी हैं। 2009 के अधिनियम में यह शर्त रखी गई है कि विश्वविद्यालय 15 वर्ष से पहले भंग नही किया जा सकेगा। लेकिन 2006 के अधिनियम में विश्वविद्यालय को भंग करने के लिये कोई समय सीमा नही रखी गयी है। दोनों अधिनियमों में विश्वविद्यालय के भंग होने पर सारी परिसंपतियों की मालिक विश्वविद्यालय की संचालक संस्था को रखा गया है। यदि दोनों अधिनियमों का एक साथ अध्ययन किया जाये तो 2009 में नियामक आयोग बना कर तथा विश्वविद्यालय को भंग करने के लिये 15 वर्ष की शर्त रखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें सभी पक्षों का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है।

हिमाचल में किसी भी गैर कृषक को सरकार से अनुमति लिये बिना जमीन खरीद का अधिकार नही है। यह अनुमति भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत दी जाती है। इस अनुमति में यह शर्त रहती है कि इस तरह ली गई जमीन को दो वर्ष के भीतर उपयोग में लाना होता है। यदि खरीदने वाला किन्ही कारणों से ऐसा नही कर पाता है तो उसे सरकार एक वर्ष तक और समय दे देती है। फिर भी यदि जमीन का उपयोग न हो पाये तो ऐसी जमीन को बिना किसी शर्त के सरकार की मलकियत में लेने का प्रावधान है। 2013 में स्व. वीरभद्र सिंह की सरकार आने पर इन विश्वविद्यालयों की जमीन खरीद को लेकर राजस्व विभाग को जांच के आदेश दिये गये थे। इस जांच में यह देखा जाना था कि इन जमीनों की खरीद में कोई नियमों की अनदेखी तो नही हुई है। लकिन आज तक इस जांच की कोई रिपोर्ट सामने नही आयी है। यह भी सामने नही आया है कि इन विश्वविद्यालयों ने तय समय सीमा के भीतर खरीदी हुई जमीन का पूरा उपयोग कर लिया है या नही। राजस्व विभाग अभी तक यह भी स्पष्ट नही कर पाया है कि इन पर धारा 118 के तहत दो वर्ष की सीमा लागू होगी या नही। वैसे अभी इस दो वर्ष की समय सीमा को बढ़ाने या हटाने को लेकर कोई संशोधन राजस्व अधिनियमों नही हुआ है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि विश्वविद्यालय लैण्ड सिलिंग एक्ट के दायरे में आते हैं या नही। वैसे कानून के जानकारों को मुताबिक विश्वविद्यालय यह जमीने खरीद कर मालिक हो गये हैं और हर मालिक लैण्ड सिलिंग एक्ट के दायरे में आता है।

इस परिदृश्य में यदि शान्ता कुमार और राजेन्द्र राणा द्वारा उठाये गये मुद्दों का अवलोकन किया जाये तो उनका हमला सीधा भाजपा के पूर्व मुख्यमन्त्री पर है। यदि लगाये गये आरोपों को देखा जाये तो जब मानव भारती विश्वविद्यालय को लेकर पहली शिकायत आयी तो उसकी जांच नियामक आयोग द्वारा जब की गई तब स्व. वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद जब दूसरी बार शिकायत आयी तब नियामक आयोग ने अगस्त 2017 को इसे डी जी पी को मामला दर्ज करके जांच के लिये भेज दिया। लेकिन 2017 में भेजी गई इस शिकायत पर 2020 में मामला दर्ज हुआ। 2018 से जयराम सरकार सत्ता में आ चुकी थी। इस सरकार में ऐसी गंभीर शिकायत पर मामला दर्ज करने में इतनी देर क्यों लगा दी गयी यह अपने में ही एक अलग विषय बन जाता है। जिसका जबाव इसी सरकार को देना पड़ेगा। 2006 के एक्ट में जमीन की सीमा और विश्वविद्यालय भंग करने की सीमा तथा इन पर लैण्ड सिलिंग एक्ट के प्रावधानों पर खामोशी बरतने का जबाव उस समय की सरकार पर आता है। लैण्ड सिलिंग एक्ट आज भी लागू नही किया जा रहा है इसका जबाव आज की सरकार को देना है। ऐसे में राजनीतिक हल्कों में यह सवाल उठ रहा है कि इन शिकायतों के माध्यम से पूर्व मुख्यमन्त्री का नाम लेकर वर्तमान सरकार पर ही निशाना साधा जा रहा है।

यह है एक्ट में प्रावधान

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) BILL, 2006 के मुताबिक Acquire and construct a minimum of 10,000 square meters of covered space suitable for conducting academic programmes, and for other purposes.

Dissolution of the university by the sponsoring body.-(1) The sponsoring body may dissolve the university by giving a notice to this effect to the Government, the employees and the students of the university at least one year in advance:

Provided that dissolution of the university shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) On the dissolution of the university all the assets and liabilities of the university shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body contravenes the undertaking given as per clause (j) of sub-section (1) of section 5, all the asset.

और **THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) BILL, 2009** के मुताबिक Acquire atleast 50 Bigha of land and construct a minimum of 10,000 square meters of covered space suitable for conducting academic programmes, and for other purposes;

Dissolution of the university by the sponsoring body.—(1) The sponsoring body may dissolve the university by giving a notice to this effect to the Visitor, Government, Regulatory Commission, the employees and the students of the university at least one year in advance: Provided that dissolution of the university shall have effect only after the last batches of students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards, as the case may be.

(2) The Regulatory Commission, on receipt of such information, shall have the right to issue such directions to the sponsoring body for the fulfillment of its obligations under sub-section (1) as it may deem necessary, and if the sponsoring body contravenes the provisions of sub section (1), the endowment fund shall be forfeited by the Regulatory Commission and the Regulatory Commission shall make arrangements for completion of courses, conduct of examinations, award of degrees, etc. of students of the private university, either by undertaking the job itself or by assigning the job to some other university in such manner that the interest of the students are not affected adversely in any manner and expenditure made for these arrangement for the students shall be made good from the money deposited in the endowment fund and/or general fund of the private university.

(2) On the dissolution of the university all the assets and liabilities of the university shall vest in the sponsoring body:

Provided that in case the sponsoring body contravenes the undertaking given as per clause (j) of sub-section (1) of section 5, all the assets of the university shall vest in the Government free from all encumbrances.

यह है नीजि विश्वविद्यालयों के पास जमीनें

Name of the Universities	Land Status
1. Arni University (Kathgarh), Tehsil Indora, Distt. Kangra, Himachal Pradesh	120 Acre
2. Bahra University Waknaghat, Solan district, Himachal Pradesh	139.06 Bigha
3. Chitkara University Barotiwala Distt. Solan	120.09 Bigha
4. Eternal University Baru Sahib, Distt. Simour	84 Bigha
5. ICFAI University, Baddi	1765 Bigha
6. Indus International University, Distt. Una	227 Bigha
7. Maharishi Markandeshwar University, Solan	55.35 Bigha
8. Manav Bharti University Distt. Solan	232 Bigha
9. Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences Distt. Solan	84.13 Bigha
10. Sri Sai University Distt. Kangra	75.10 Bigha
11. AP Goyal Shimla University Distt. Shimla	54.13 Bigha
12. IEC University, Baddi Distt. Solan	52 Bigha
13. Atal Educational Hub Kallujhanda, Baddi, Teh. Nalagarh Distt. Solan	219.71 Bigha
14. Career Point University, Distt. Hamirpur	48891.54 Sq.Mtr
15. Maharaja Agrasen University Baddi Solan	278.07 Kanal